राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांक प. 18(2) शिक्षा–4/2014 जयपुर, दिनांक 24/7/2014

कुलसचिव,
R. T. Uni
Kota.

विषयः–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम –2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–14) की पालना करने के संबंध में।

संदर्भः–महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्रांक एफ 16 (4) (5)/निमअ/यौ.उत्पी./13/पार्ट–।/275–311 दिनांक 04.06.2014।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम–2013 लागू कर दिया है। उक्त (अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है) अधिनिमय की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिए एक आन्तरिक समिति का गठन किया जाना है। उक्त संलग्न परिपत्र दिनांक 30.12.2013 की पालना में विश्वविद्यालय में आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करवाते हुए कृपया गठित की गई समितियों के सदस्यों का पूर्ण विवरण मय दूरभाष नम्बर इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें। अधिनियम की पालना के पर्यवेक्षण/प्रबोधन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का भी श्रम करें। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में गठित की गई आन्तरिक समिति के सदस्यों का पूर्ण विवरण मय दूरभाष सुलभ स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी करावें।
कृपया अधिनियम की भावना के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करते हुए, पालना रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

24/7/14
(डॉ. वेंकट रमणी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपिः– प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार को उनके पत्रांक एफ 16 (4) (5)/निमअ/यौ.उत्पी./13/ पार्ट–।/275–311 दिनांक 04.06.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

24/7/14
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Pl. discuss
DSW